NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्नपत्र – 4 : निगमित एवं सम्बन्धित कानून

प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।

अन्य में से कोई पाँच करें।

प्रश्न 1

(a) ABC लिमिटेड ने संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित लाभांश दर के अनुसार वार्षिक साधारण सभा में 30 अप्रैल, 2013 को चुकता समता अंश पूंजी पर 30 प्रतिशत की दर से लाभांश घोषित किया। परन्तु कम्पनी द्वारा एक अंशधारक रंजन को 30 जून, 2013 तक कोई लाभांश भुगतान नहीं किया। रंजन द्वारा कम्पनी पर वाद दायर किया गया कि लाभांश का भुगतान चूक अवधि के लिए 20 प्रतिशत ब्याज सहित किया जाए। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय करें कि क्या रंजन सफल होगा? अधिनियम के अन्तर्गत निदेशकों के दायित्व भी बताइये। (5 Marks)

(b) xyz लिमिटेड के संचालक मण्डल ने निर्णय किया कि वे PQR लिमिटेड के 35000 समता अंश 100 ₹ प्रति अंश पर क्रय करने हेतु प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं। उक्त सभा में पारित करने हेतु एक नमूना बोर्ड संकल्प बनाइए। (4 Marks)

(c) निदेशक पहचान संख्या (DIN) क्या है? RST लिमिटेड में नये नियुक्त निदेशक मोहन द्वारा DIN हेतु आवेदन किया गया। DIN-1 के साथ लगाये जाने वाले सभी दस्तावेजों की सूची बनाइए। (5 Marks)

(d) एक मान्यताप्राप्त स्कन्ध विनिमय अपनी प्रतिभूति के क्रय एवं विक्रय के अनुबंध को निगमित तथा नियंत्रित करने हेतु कुछ उपनियम बनाना चाहता है।

इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की विधिक आवश्यकताएं बताइए। मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय द्वारा बनाए गए उपनियम को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा बदलने की शक्तियाँ बताइए। (6 Marks)

उत्तर

(a) **विनिर्दिष्ट समय सीमा में लाभांश का भुगतान/डाक न भेजने पर दायित्व :–** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 207 के अनुसार लाभांश घोषित होने के 30 दिन के भीतर भुगतान हो जाना चाहिए। लाभांश का वारन्ट 30 दिन के भीतर डाक द्वारा भेजने पर यह मान लिया जाता है कि भुगतान 30 दिन के भीतर हुआ है चाहे अंशधारक ने उसे नकद में

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

या चेक द्वारा प्राप्त की, ABC लिमिटेड द्वारा वार्षिक साधारण सभा में संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित 30 प्रतिशत लाभांश दर, 30 अप्रैल, 2013 को घोषित किया गया। परन्तु कम्पनी

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

द्वारा एक अंशधारक रंजन को 30 जून, 2013 तक लाभांश वारण्ट डाक द्वारा नहीं भेजा गया।

(i) उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, रंजन कम्पनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकता है क्योंकि कम्पनी द्वारा 30 दिन के भीतर लाभांश वारन्ट का भुगतान या डाक द्वारा भेजने में चूक की गई जो अधिनियम में अपराध है। अतः वह सफल होगा परन्तु चूक अवधि के लिये वह केवल 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज (तथा 20 प्रतिशत नहीं जैसा दावा किया गया है) प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ii) कम्पनी का प्रत्येक निदेशक अगर इस चूक का जानकार है तो इस हेतु 3 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा, तथा साथ ही चूक अवधि हेतु प्रतिदिन 1000 ₹ की शास्ति (Penalty) भी देनी होगी।

(b) **नमूना बोर्ड संकल्प : समता अंशो का क्रय**

XYZ लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा पंजीकृत कार्यालय जो .... में स्थित है पर .... (वार) को .... समय पर एक संकल्प पारित किया गया।

''कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372A के प्रावधानों के अन्तर्गत यह संकल्प लिया कि xyz लिमिटेड कम्पनी PQR लिमिटेड कम्पनी (जो समान प्रबन्धन के अन्तर्गत नहीं है) में 35000 समता अंश 100 ₹ प्रत्येक अंश के अनुसार क्रय करना चाहती है तथा यह संकल्प समस्त संचालक द्वारा एकमत रूप से पारित किया गया।

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि कम्पनी का एक संचालक .... , इस संबंध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को हस्ताक्षर एवं निष्पादित करने हेतु अधिकृत है।''

Sd/-

संचालक मण्डल

XYZ लिमिटेड

(c) **निदेशक पहचान संख्या (DIN): कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 266A तथा 266B के अनुसार संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।**

निदेशक पहचान संख्या (DIN): यह एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो केन्द्र सरकार कार्यालय का [क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कम्पनी मामले का मंत्रालय नोएडा] द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जो या तो कम्पनी का वर्तमान में निदेशक है या कम्पनी

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

लगाये जाने वाले स्कैन दस्तावेज निम्न हैं :–

(i) आवेदक का उच्च गुणवत्ता वाला फोटो

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(ii) पहचान, नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हेतु PAN की प्रति आवश्यक है। विदेशी व्यक्ति की दशा में पिता के नाम का प्रमाण आवश्यक नहीं है।

(iii) विदेशी नागरिक की दशा में पासपोर्ट की प्रति, पहचान हेतु आवश्यक होती है।

(iv) वर्तमान पते का साक्ष्य जो 2 माह से पुराना न हो।

(v) वेबसाइट (www.mca.gov.in) पर दिये गये प्रारूप में अनुसूची – 1

(d) **स्कन्ध विनिमय द्वारा उपनियम बनाने की शक्तियाँ** : कोई भी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 9(1) की आवश्यकताओं का पालन करते हुए अपनी प्रतिभूति के क्रय विक्रय के अनुबन्ध को निगमित तथा नियंत्रित करने हेतु उपनियम बना सकती है। स्कन्ध विनिमय कोई भी उपनियम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर बना सकती है।

इस धारा के अन्तर्गत बनाए गए उपनियम (i) यह स्पष्ट करे कि इनका उल्लंघन संविदा को इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के अन्तर्गत व्यर्थ कर देगा। तथा (ii) यह प्रदान करे कि उपनियम का उल्लंघन सदस्य को सजा के लिये उत्तरदायी बनाता है यथा शास्ति या सदस्यता से निष्कासन (Expulsion) या सदस्यता से निलंबन या कोई भी अन्य जुर्माना जिसमें राशि का भुगतान सम्मिलित न हो [उपधारा (3)]

इस धारा के अन्तर्गत बनाया गया कोई भी उपनियम उस शर्त के अधीन होगा जो किसी पिछले प्रकाशन में विनिर्दिष्ट किया गया है तथा SEBI द्वारा अनुमोदित किया गया है एवं भारतीय राज पत्र तथा राज्य के राजपत्र में जहाँ स्कन्ध विनिमय का प्रधान कार्यालय स्थापित हो प्रकाशित किया जाएगा तथा प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। [उपधारा (4)]

किसी भी परिस्थिति में, SEBI अगर संतुष्ट है कि यह लेन देन व्यापार अथवा सामान्य जनता के हित में है, तत्काल कोई भी उपनियम बना सकती है। तथा उसे इस हेतु लिखित में कारण बताना होगा।

उपनियम को संशोधन करने की सेबी की शक्तियां:– प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 10 एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के उपनियमों में संशोधन करने के लिये सेबी को शक्ति प्रदान करती है।

सेबी किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की शास्ति निकाय (Governing Body) से प्राप्त लिखित में अनुरोध पर या स्वयं की इच्छा पर उन स्टॉक एक्सचेंजों के उपनियमों में संशोधन कर सकती है। सेबी को उक्त परिवर्तन हेतु शास्ति निकाय से परामर्श करना

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

स्कन्ध विनिमय को सेबी द्वारा किये गये संशोधनों से कोई आपत्ति है तो वह दो महीनों के भीतर संशोधन के लिए आवेदन कर सकती है।

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्न 2

(a) VMR लिमिटेड के निदेशक राहुल के भाई रमन को बिना राहुल की जानकारी के कम्पनी में मुख्य लेखांकन अधिकारी के रूप में 2,80,000 ₹ प्रतिमाह के वेतन पर नियुक्त किया गया। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत वह समय सीमा बताइए जिसमें कम्पनी को इस नियुक्ति के संबध मे समस्त विविध औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी। अगर कम्पनी ऐसा नहीं करती है तो क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। (8 Marks)

(b) राज स्टील लिमिटेड के संचालक मण्डल में एक प्रबन्ध निदेशक, एक तकनीकी निदेशक तथा तीन साधारण निदेशक हैं। कम्पनी के साधारण निदेशक श्रीराम ने कम्पनी को लिखित में निवृत्ति पत्र भेजा। कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक राज ने भी सभा मण्डल के अध्यक्ष को निवृत्ति पत्र दिया तथा प्रार्थना की कि वे तत्काल पद से निवृत्त होना चाहते हैं। निवृत्ति कब से प्रभावी होगी? क्या एक निदेशक मौखिक में निवृत्ति दे सकता है तथा निवृत्ति पुनः ली जा सकती है? (8 Marks)

उत्तर

(a) **निदेशक के रिश्तेदार की नियुक्तिः–** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–314 की उपधारा (1B) के अनुसार बिना कम्पनी के विशेष प्रस्ताव से एवं केन्द्र सरकार की अनुमति के किसी भी निदेशक का रिश्तेदार किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्त नहीं हो सकता है, जहाँ पारिश्रमिक ₹ 2,50,000 से कम न हो।

दी गई परिस्थिति में, VMR लिमिटेड के निदेशक राहुल के भाई रमन बिना राहुल की जानकारी के 2,80,000 ₹ के मासिक वेतन पर मुख्य लेखांकन अधिकारी (Chief Accounting Officer) नियुक्त हुए।

चूंकि रमन को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक ₹ 2,50,000 प्रतिमाह से अधिक है उसकी मुख्य लेखांकन अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु कम्पनी की विशेष प्रस्ताव द्वारा पूर्व अनुमति तथा केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है।

परिस्थितियाँः– कम्पनी द्वारा पूर्व में विशेष प्रस्ताव पारित किये बिना तथा केन्द्र सरकार की अनुमति लिये बिना रिश्तेदार द्वारा कोई भी कार्यालय या लाभ का स्थान धारित किया जाता है, तो उक्त कार्यालय या लाभ के स्थान पर नियुक्त रिश्तेदार, कम्पनी से प्राप्त कोई भी पारिश्रमिक या अनुलाभ मौद्रिक के बराबर या कोई भी अन्य लाभ कम्पनी को पुनः भुगतान करने हेतु दायी होगा। [उपधारा (2 B)]

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

कम्पनी से प्राप्त किये गये हैं, पुनः भुगतान हेतु दायी होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON [WhatsApp] BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON [WhatsApp] AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

कम्पनी रमन द्वारा पुनः भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि में छूट प्रदान नहीं कर सकती जब तक कि केन्द्र सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी गई हो। [उपधारा (2 D)]

(b) **निदेशकों का इस्तीफा तथा तत्संबंधी पुनःवापसी :–**

साधारण निदेशक श्रीराम द्वारा लिखित में इस्तीफाः कम्पनी अधिनियम, 1956 में निदेशक द्वारा कार्यालय से निवृत्ति संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। तथापि अन्तर्नियम में प्रावधान बनाकर निदेशकों को अधिकार दिया जा सकता है कि वे किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं तथा उक्त इस्तीफा संचालक मण्डल तथा साधारण सभा में स्वीकृति के बिना प्रभावी माना जाएगा। S.S. Lakshamana Pillai *v.* Registrar of Companies & T. Murari *v.* State के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 में तथा अन्तर्नियम में इस्तीफे से संबंधित प्रावधान न होने पर निदेशक द्वारा स्पष्ट रूप से लिखित में प्रस्तुत करने पर यह उसी समय से प्रभावी हो जाएगा जब इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

जब निवृत्ति पत्र में ऐसा वर्णित हो कि निवृत्ति स्वीकृति पर प्रभावी होगी तथा अन्तर्नियम में ऐसा वर्णित हो तो निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति हेतु स्वीकृति आवश्यक होगी।

उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए साधारण निदेशक श्रीराम उसी समय से राज स्टील लिमिटेड के निदेशक पद से निवृत्त माने जाएंगे जब उक्त इस्तीफा कम्पनी को दिया गया, यह मानते हुए की उक्त इस्तीफे में स्वीकृति संबंधी कोई उल्लेख नहीं है तथा राज स्टील लिमिटेड के अन्तर्नियमों में ऐसी आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक राज द्वारा इस्तीफाः– एक प्रबन्ध निदेशक केवल नोटिस देकर पदच्युत नहीं हो सकता है। उस दशा में कम्पनी द्वारा उक्त इस्तीफे हेतु स्वीकृति आवश्यक है जो इसे पूर्ण तथा प्रभावी बनाती है। यह इसलिये है क्योंकि वह दो स्थिति को धारण किये हुए हैं या दो योग्यताएँ रखते हैं (a) पहली एक निदेशक के रूप में तथा (b) अन्य एक प्रबन्ध निदेशक के रूप में पूर्णकालिक कर्मचारी। एक कर्मचारी स्वयं की इच्छा से केवल नोटिस देकर पदत्याग नहीं कर सकता है। यह नोटिस या इस्तीफा कम्पनी द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। (Achutha Pal v.Registrar of Companies)

निदेशक द्वारा मौखिक में इस्तीफा देनाः– एक मौखिक इस्तीफा पर्याप्त होता है, परन्तु अन्तर्नियम सामान्यतः लिखित नोटिस का पक्षधर होता है। तथापि, Latchford Premier Ltd. V. Enion में यह निर्णीत किया गया कि सामान्य सभा में मौखिक इस्तीफा पर्याप्त होता है चाहे अन्तर्नियम में लिखित इस्तीफा होने का प्रावधान हो। परन्तु उक्त इस्तीफा तब

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

या सभा मण्डल द्वारा उक्त इस्तीफा लिया गया हो। (Glossop *v.* Glossop)

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

प्रश्न 3

(a) AMC लिमिटेड की अभियाचित पूंजी का एक-चौथाई भाग राजस्थान सरकार द्वारा धारित किया गया है। कम्पनी की 30 अप्रैल, 2013 को वार्षिक साधारण सभा हुई जिसमें योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नीरज को साधारण प्रस्ताव द्वारा अंकेक्षक नियुक्त किया गया। कम्पनी के अंशधारक संजय द्वारा यह विरोध किया गया कि नीरज की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन है। निर्णय कीजिए कि क्या संजय का विरोध उचित है? उक्त नियुक्ति से इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली परिस्थितियों को निर्णीत करें। (8 Marks)

(b) एक सूचीबद्व कम्पनी NCP लिमिटेड ''इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेन्ट प्रोग्राम'' के तहत समता अंश निर्गमित करना चाहती है। निम्न के सम्बन्ध में सेबी (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2009 के प्रावधानों का वर्णन कीजिएः

(i) इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेन्ट प्रोग्राम की शर्तें

(ii) न्यूनतम आबंटी की संख्या।

(iii) प्रस्ताव के आकार पर प्रतिबंध।

(iv) योग्य प्रतिभूतियों की हस्तांतरणीयता। (8 Marks)

उत्तर

(a) **अंकेक्षक की नियुक्ति की वैधता :–** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224A(1) के अनुसार जब कम्पनी में निम्न द्वारा एकल अथवा संयुक्त रूप से अभियाचित पूंजी का 25 प्रतिशत से कम धारित न कर रखा हो तो अंकेक्षक या अंकेक्षको की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

(i) एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या एक सार्वजनिक कम्पनी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, या

(ii) कोई भी वित्तीय या अन्य संस्थान जो स्थानीय या राज्य अधिनियम के अन्तर्गत हो तथा जिसमें राज्य सरकार अभियाचित पूंजी का 51 प्रतिशत से कम धारित न करती हो, या

(iii) राष्ट्रीयकृत बैंक या एक बीमा कम्पनी जो साधारण बीमा का व्यवसाय करती हो। आगे उपधारा (2) के अनुसार अगर कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में अंकेक्षकों को नियुक्त करने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित करने में भूल या चूक करती है, तो इसे ऐसा

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(iv) उपरोक्त प्रावधानों को देखते हुए:–

(1) संजय का विरोध उचित है क्योंकि अभियाचित पूंजी का 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार यानि कि राजस्थान सरकार द्वारा धारित है। अतः नीरज की अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा (न कि साधारण प्रस्ताव द्वारा) होनी चाहिए।

(2) नीरज की अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति वैध नहीं है। धारा 224 A(2) में वर्णित है कि अगर कम्पनी वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव द्वारा अंकेक्षक नियुक्त करने में असफल रहती है तो ऐसा माना जाएगा कि कम्पनी द्वारा अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

(3) इस दशा में उक्त रिक्तता को भरने हेतु केन्द्र सरकार अंकेक्षक नियुक्त करेगी क्योंकि उक्त कम्पनी की दशा में धारा 224 (3) के प्रावधान लागू होंगे।

(b) **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोगाम [(सेबी (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009)]:** सेबी (पूंजी का निर्गमन तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध कम्पनी NCP लिमिटेड को निम्न विनियमों का पालन करना होगा अगर वह "इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम" के अन्तर्गत समता अंश निर्गमित करना चाहती है :–

(i) **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम हेतु शर्तें:–**

1 इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेन्ट प्रोग्राम कम्पनी अधिनियम की धारा 81 (1A) की शर्तों के अधीन निर्गमनकर्ता कम्पनी के अंशधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर अनुमोदित होना चाहिए।

2 आंशिक प्रदत्त प्रतिभूति का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए।

3 निर्गमनकर्ता द्वारा स्कन्ध विनिमय से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(ii) **आबंटी की न्यूनतम संख्या:**

1 इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेन्ट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक योग्य प्रतिभूति के प्रस्ताव पर आबंटी की न्यूनतम संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए तथा एक आबंटी को कुल प्रस्ताव का 25 प्रतिशत से ज्यादा आवंटन नहीं होना चाहिए।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(iii) प्रस्ताव के आकार पर प्रतिबंध:–

1 योग्य विक्रेता द्वारा किए जाने वाले सभी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम से सार्वजनिक शेयरधारिता में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि न हो या उस कम प्रतिशत से जो न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता हेतु आवश्यक है।

2 जब निर्गमन अधिअभियाचित हो तो निर्गमन का 10 प्रतिशत से अधिक आबंटन योग्य विक्रेता द्वारा नहीं होना चाहिए।

(iv) **योग्य प्रतिभूति की हस्तांतरणीयता:–** इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम के अधीन आबंटी को आबंटित की गई योग्य प्रतिभूति को आबंटी द्वारा आबंटन से एक वर्ष के भीतर मान्यता प्राप्त स्कन्ध विनिमय को छोड़कर कहीं ओर विक्रय नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 4

(a) क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 80 लाख ₹ है, के संचालक मण्डल द्वारा 1 जनवरी, 2012 को राम मार्केटिंग लिमिटेड को 5 वर्ष के लिए एकल विक्रेता एजेन्ट (Sole Selling Agent) नियुक्त किया गया। राम मार्केटिंग लिमिटेड के निदेशकों द्वारा क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड में 3.5 लाख ₹ के पूर्ण प्रदत्त अंश धारित कर रखे हैं। एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति को अनुमोदित करने हेतु 20 मई, 2012 को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। केन्द्र सरकार की स्वीकृति 1 अक्टूबर, 2012 को प्राप्त की गई। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निर्णीत करें कि एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति वैध है।

आपका उत्तर क्या होगा यदि 1 जनवरी, 2012 को क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी 40 लाख ₹ थी तथा यह 1 जनवरी, 2013 को 80 लाख ₹ तक बढ़ गई। (8 Marks)

(b) बैंकिंग कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण, अंकेक्षक की नियुक्ति तथा अंकेक्षण रिपोर्ट से संबधित बैंकिंग विनिमय अधिनियम, 1949 के प्रावधानों को वर्णित करें। यह भी बताइए की क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 में बताए गए अंकेक्षक की शक्तियाँ, दायित्व तथा कार्य बैंकिंग कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षण पर लागू होते हैं। (8 Marks)

उत्तर

(a) **एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति की वैधता :–** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

साथ ही अगर कम्पनी की प्रदत्त पूंजी पचास लाख ₹ या उससे ज्यादा है तो वह तब तक एकल विक्रेता एजेन्ट नियुक्त नहीं कर सकती जब तक कि यह विशेष प्रस्ताव द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

अनुमोदित न हो तथा कम्पनी ने केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त न कर ली हो। [उपधारा(3)]

निगमित निकाय के संबध में ''सारवान हित'' से तात्पर्य उक्त निगमित निकाय द्वारा या उसके एक या अधिक निदेशकों द्वारा या उक्त निदेशकों के रिश्तेदार द्वारा चाहे एकल या संयुक्त रूप से कम्पनी के अंशों में लाभकारी हित धारण किया हो, जो अंशों के पूर्ण प्रदत्त मूल्य के 5 लाख ₹ से अधिक या कम्पनी की पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी के 5 प्रतिशत (दोनों मे से जो भी कम हो) हो।

(i) वर्तमान परिस्थिति में क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड के संचालक मण्डल द्वारा 1 जनवरी 2012 से पांच वर्ष के लिये राम मार्केटिंग लिमिटेड को एकल विक्रेता एजेन्ट नियुक्त किया गया। क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की चुकता अंश पूंजी 80 लाख ₹ है। राम मार्केटिंग लिमिटेड निदेशकों द्वारा क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड में 3.5 लाख ₹ के अंश धारित कर रखे हैं।

यहां, क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की चुकता अंश पूंजी का 5 प्रतिशत 4 लाख ₹ है। राम मार्केटिंग लिमिटेड के निदेशकों द्वारा क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड में 3.5 लाख ₹ मूल्य के पूर्ण चूकता अंश धारित कर रखे हैं अतः राम मार्केटिंग लिमिटेड का क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड में सारवान हित नहीं है। अतः केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

आगे, चूंकि क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की चुकता अंश पूंजी 50 लाख ₹ या उससे ज्यादा है, एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति कम्पनी को विशेष प्रस्ताव द्वारा करनी होगी तथा केन्द्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड द्वारा कम्पनी की विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन 20 मई, 2012 को ली गई तथा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति 1 अक्टूबर 2012 को प्राप्त की गई। अतः यह राम मार्केटिंग लिमिटेड की एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति हेतु समस्त शर्तों को पूरी करता है।

अतः एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति वैध है।

(ii) इस दशा में, क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की एकल विक्रेता एजेन्ट की नियुक्ति की तिथि को अर्थात् 1 जनवरी 2012 को चुकता अंश पूंजी 40 लाख ₹ है।

यहां, क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड की चुकता अंश पूंजी का 5 प्रतिशत 2 लाख ₹ है। राम मार्केटिंग लिमिटेड के निदेशकों द्वारा क्वालिटी फॉरगिंगस् लिमिटेड में 3.5 लाख ₹ मूल्य के पूर्ण चुकता अंश धारित कर रखे हैं अतः राम मार्केटिंग लिमिटेड का क्वालिटी फॉरगिंगस्

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

की नियुक्ति के पश्चात् है। क्योंकि यहॉ केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई है अतः नियुक्ति अवैध है।

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES" AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427

PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

चाहे 1 जनवरी, 2013 को चुकता अंश पूंजी बढ़कर 80 लाख ₹ हो जाये, यह राम मार्केटिंग की एकल विक्रेता एजेन्ट के रूप में नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि 1 जनवरी, 2012 को हुई वास्तविक नियुक्ति अवैध है।

(b) **बैंकिंग कम्पनी का अंकेक्षण :–**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार बनाये गये चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता उस व्यक्ति द्वारा अंकेक्षित किये जाएंगे जो वर्तमान कानून के अंतर्गत कम्पनी का अंकेक्षक बनने हेतु योग्य है (धारा 30)। इन अंकेक्षकों को वैधानिक अंकेक्षक भी कहा जाता है। वर्तमान में प्रचलित कानून के नियमों को छोडकर प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अंकेक्षक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या निष्कासन से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लेनी होगी। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग कम्पनी के विशेष अंकेक्षण हेतु कह सकती है, अगर यह सामान्य जनता या जमाकर्ता के हित में हो।

अंकेक्षण रिपोर्ट :– कम्पनी अधिनियम, 1956 में दिये गये मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट में निम्न का उल्लेख करना होगा।

1. अंकेक्षक द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण संतोषजनक है या नहीं।
2. वह लेन देन जो अंकेक्षक के ध्यान मे आए हैं वह कम्पनी की शक्तियों के अधीन हैं या नहीं,
3. अंकेक्षण के उद्देश्य हेतु शाखा कार्यालय द्वारा जो विवरणियाँ प्राप्त हो रही हैं पर्याप्त हैं या नहीं।
4. क्या लाभ–हानि खाते द्वारा उक्त अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाने वाला लाभ–हानि शेष सही है।
5. कोई भी अन्य मामला जिसे ऐसा माना जाए कि इसे कम्पनी के अंशधारकों को बताना आवश्यक है।

कम्पनी अधिनियम की प्रयोजनीयता (Applicability) :– बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 2 के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधान कम्पनी अधिनियम , 1956 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अतिरिक्त है और न कि उनके विपरीत है। आगे, धारा 30 (2) में यह स्पष्टतया वर्णित है कि बैंकिंग कम्पनी के अंकेक्षक की वही शक्तियाँ तथा कार्य हैं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–227 में वर्णित हैं अतः बैंकिंग कम्पनी का अंकेक्षक भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के द्वारा विनियमित (Regulated)

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

प्रश

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

(a)

उसकी वित्तीय स्थिति बहुत बुरी है। कम्पनी द्वारा 1 सितम्बर, 2012 को अपनी कुछ अचल सम्पत्ति को बैंक के पास गिरवी रखी गयी ताकि कम्पनी बैंक से ऋण ले सके तथा इसको

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

2013 को न्यायालय में कम्पनी के समापन की याचिका दायर की गई। न्यायालय द्वारा 1 अगस्त, 2013 को कम्पनी के समापन का आदेश दिया गया। कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अर्न्तगत निम्न के उत्तर दीजिएः–

1. 'कपटपूर्ण अधिमान' का क्या तात्पर्य है? 'कपटपूर्ण अधिमान' के प्रभाव बताइए।

2. कम्पनी द्वारा बैंक के पक्ष में विधिक गिरवी बनाना क्या 'कपटपूर्ण अधिमान' है। (8 Marks)

(b) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 तथा 398 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका पर न्यायिक घोषणाओं के तहत् लाभ बताइएः–

(i) युनिक प्रोडक्टस लिमिटेड की निर्गमित अंश पूंजी का 12 प्रतिशत धारित करने वाले अंशधारकों द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष यह याचिका दायर की गई कि कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के अविधिक, अवैध तथा अनियमित लेन देन किये जा रहे हैं।

(ii) केमिकल प्राइवेट लिमिटेड सदस्यों के दो समूहों द्वारा नियंत्रित है। वह समूह जिसने अंशों का अंधिकाश भाग धारित कर रखा है अल्पमत समूह के खिलाफ दमन हेतु कम्पनी विधि बोर्ड को प्रार्थना करता है। (8 Marks)

उत्तर

(a) 1. **'कपटपूर्ण अधिमान':–** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 531 के प्रावधानों के अनुसार दिवालिया व्यक्ति द्वारा दिवालिया याचिका दायर करने से पूर्व के तीन माह के भीतर अगर चल या अचल सम्पति का हस्तांतरण माल की सुपुर्दगी या धन के भुगतान पर हो, ऐसा माना जाएगा कि उसके लेनदारों पर कपटपूर्ण अधिमान है तथा अवैध होगा। इसके समान ही, कम्पनी की दशा में उक्त सभी हस्तांतरण कम्पनी की समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व के छः माह के भीतर किया जाता है, तो यह उसके लेनदारों पर कपटपूर्ण अधिमान माना जाएगा तथा अवैध होगा।

2. **कम्पनी द्वारा बैंक को विधिक गिरवी देनाः–** वर्तमान स्थिति में माडर्न टैक्सटाईल लिमिटेड द्वारा 1 सितम्बर, 2012 को अपनी कुछ अचल सम्पति हेतु बैंक को विधिक गिरवीग्रहीता बनाया गया यह मानते हुए की कम्पनी बैंक से आगे अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकेगी, जिसको कम्पनी को पुर्नजीवित करने हेतु उपयोग लिया जाएगा।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

याचिका की प्रस्तुति के पूर्व के 6 माह के भीतर होना चाहिए तथा स्वैच्छिक समापन

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

चाहिए; तथा

(b) कम्पनी का मुख्य उद्देश्य एक लेनदार को अन्य से अधिमान देना है।

इसलिए कपटपूर्ण अधिमान को साबित करने के लिये मुख्य तत्व यह है कि बेइमानी से कार्य किया गया है। कपटपूर्ण अधिमान का पता लगाने हेतु यह देखना है कि कम्पनी के प्रतिनिधि निदेशक या अंशधारकों का उद्देश्य लेनदार को अधिमान देना है।

लेनदेन करने का मुख्य उद्देश्य पता लगाया जाना चाहिए तथा अगर उक्त लेनदेन में बेइमानी है, तो कपट का प्रश्न उठता है। उक्त भुगतान की वैधता हेतु प्रश्न यह नहीं है कि उक्त भुगतान से कम्पनी को हानि होती है या नहीं, परन्तु क्या इसको कम्पनी को सहयोग करने के सदाशयी दृश्य (Bonafide View) के साथ किया गया है।

इसलिए अचल सम्पति का बैंक के लिये विधिक गिरवी बनाना कपटपूर्ण अधिमान नहीं है क्योंकि इसे पूर्ण सद्विश्वास में किया गया है ताकि कम्पनी आगे और ऋण प्राप्त कर सके। यह एक पूर्ण सद्विश्वास में किया गया लेन देन है।

(b) (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 तथा 398 के अनुसार युनिक प्रोडक्टस लिमिटेड के अंशधारकों के समूह द्वारा निर्गमित अंश पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारित किया जाना चाहिए तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 399 (1) की आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करना चाहिए। चूंकि समूह निर्गमित अंश पूंजी का 12 प्रतिशत धारित करते हैं अतः समूह द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 तथा 398 के तहत् कम्पनी विधि बोर्ड को याचिका दायर की जा सकती है कि कम्पनी के कार्यकलापों का संचालन ऐसी रीति से किया जा रहा है जो लोकहित के प्रतिकूल है या एक या एक से अधिक सदस्यों के प्रति अन्यायपूर्ण है। तथापि, Seth Mohanlal Ganpatram *v.* Shri Sayaji Jubilee Cotton and Jute Mills Company Ltd. के वाद में यह निर्णीत किया गया कि कम्पनी के नाम से केवल अविधिक, अवैध या अनियमित लेनदेन करना धारा 397 के प्रावधानों को लागू नहीं करते जब तक कि यह साबित न हो कि यह अंशधारकों पर अन्यायपूर्ण/दमनात्मक है या कम्पनी या सामान्य जनता के हितों के विरूद्व है।

अतः वर्तमान स्थिति में, अंशधारकों के समूह द्वारा दायर की गई याचिका व्यर्थ हो जाएगी जब तक कि समूह द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को सन्तुष्ट नहीं कर दिया जाता है कि वह कार्य जो याचिका में दायर किये गये हैं दमनात्मक हैं या कम्पनी का

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

या 398 के अन्तर्गत राहत प्राप्त करने का अधिकार 100 सदस्यों या कुल सदस्य संख्या का 1/10 वाँ भाग या कोई भी सदस्य या सदस्यों का भाग जिसने निर्गमित

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

अंश पूंजी का 1/10 वां भाग से कम धारित न किया हो को प्राप्त है। इस धारा में ऐसा बिल्कुल भी वर्णित नहीं है कि जब तक याचिका अल्पसंख्यकों द्वारा दायर नहीं की जाए उचित नहीं होगी। याचिका दायर करने का अधिकार अकेले पीड़ित अल्पसंख्यक अंशधारकों को ही नहीं है।

In Re Sindri Iron Foundry (P) Ltd. के अनुसार पीड़ित बहुसंख्यक भी धारा 397 के अन्तर्गत राहत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता राहत प्राप्त करने में सफल होंगे अगर धारा 397 की अन्य शर्तें (जैसे कि कम्पनी का समापन उन सदस्यों के हितों के विरूद्व है, परन्तु तथ्य यह स्पष्ट करे कि समापन का आदेश न्याय एवं साम्य के आधार पर समान रूप से दिया गया है) सन्तुष्ट करें।

प्रश्न 6

(a) NKM प्रोड्यूसर कम्पनी 30 अप्रैल 2013 को सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित कर कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत प्रोड्यूसर कम्पनी को अन्तर्राज्यीय सहकारी समिति में पुनः परिवर्तित करती है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत पेशेवर के रूप में कम्पनी को सलाह दें कि प्रोड्यूसर कम्पनी को अन्तर्राज्यीय सहकारी समिति में परिवर्तित करने हेतु किस विधि को अपनाना होगा? (8 Marks)

(b) प्रीमियर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड एक असूचीबद्व कम्पनी माडर्न सोल्यूशनस् लिमिटेड के सभी सदस्यों को समस्त अंश खरीदने का प्रस्ताव कर अधिग्रहित करना चाहती है। वर्तमान में प्रीमियर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड द्वारा माडर्न सोल्यूशनस् लिमिटेड में कोई भी अंश धारित नहीं कर रखे हैं। प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। (8 Marks)

उत्तर

(a) **प्रोड्यूसर कम्पनी का अंतर्राज्यीय सहकारी समिति में पुनः परिवर्तन** – कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZS के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवर्तन की निम्न विधि है:–

1. **उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र**– कोई भी प्रोड्यूसर कम्पनी जो अन्तर्राज्यीय सहकारी समिति बनना चाहती है उच्च न्यायालय को उक्त परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र देगी–

   (a) सामान्य सभा मे जो सदस्य उपस्थित हैं तथा मत दे रहे हैं उनके द्वारा प्रस्ताव पारित करवाकर, जो उनके 2/3 से कम न हो। या

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

कि सदस्यों या लेनदारों की सभा का आयोजन उस तरीके से किया जाए जैसा उसके द्वारा निर्देशित किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

5. **पुनः परिवर्तन के सम्बन्ध में बहुमत** – अगर लेनदारों (जो कि कुल लेनदारों के 3/4 भाग मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं) या सदस्यों के बहुमत द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बुलाई गई सभा में पुनः परिवर्तन हेतु सहमत होते हैं तथा उच्च न्यायालय से सहमति प्राप्त कर ली गई है तो यह सभी सदस्यों तथा लेनदारों तथा उस कम्पनी पर जो परिवर्तित हो रही है पर बाध्यकारी होगा। पुनः परिवर्तन को सहमति प्रदान करने से पूर्व न्यायालय द्वारा शपथ पत्र या अन्य द्वारा कम्पनी के सभी सारवान तथ्यों पर सहमति प्रदान की जाएगीं।

4. **प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को जमा कराना:–** न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को जमा न करवा दी जाए।

5. **प्रत्येक ज्ञापन की प्रतिलिपि के साथ आदेश की प्रति लगाना:–** प्रमाणित प्रति जमा कराने के पश्चात् प्रत्येक ज्ञापन की प्रतिलिपि के साथ आदेश की प्रति लगानी चाहिए या उस दशा में जब कम्पनी के पास ज्ञापन नहीं है, आदेश की प्रतिलिपि कम्पनी के गठन के प्रपत्र के साथ लगानी चाहिए।

6. **प्रमाणित प्रति को जमा कराने में चूक:–** अगर प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रार को जमा कराने में चूक की जाती है तो कम्पनी तथा प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है, जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रत्येक प्रति के लिये ₹ 100 तक हो सकता है।

7. **आवेदन के निस्तारण तक मुकदमे/प्रक्रिया में रहना:–** प्रार्थना करने के पश्चात् न्यायालय किसी भी समय मुकदमे को चालू कर सकता है, जब तक प्रार्थना पत्र पूर्णतः समाप्त न कर दिया जाए।

8. **उच्च न्यायालय द्वारा पुनः परिवर्तन को सहमति प्रदान करने के पश्चात् सहकारी समिति अधिनियम आदि में प्रार्थना पत्र जमा करवाना:–** प्रत्येक प्रोड्यूसर कम्पनी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा सहमति प्राप्त हो गई है, को बहुराज्यीय सहकारी समिति या सहकारी समिति के रूप में पंजीकरण हेतु बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या अन्य अधिनियम के अन्तर्गत 6 माह के भीतर आवेदन करना होगा तथा इसकी सूचना उच्च न्यायालय तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा सहकारी समिति के रजिस्ट्रार को देनी होगी जिसके अन्तर्गत यह एक बहुराज्यीय सहकारी समिति या सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है।

(b) **अंशों के क्रय द्वारा कम्पनी का अधिग्रहण:–** यह एक विधि है जिसके द्वारा एक कम्पनी

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(1) अंशों के धारकों की सहमति :– विधि के अनुसार, अनुबंध की स्कीम जिसमें कम्पनी के अंशों का या अंशों के किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण शामिल है में सर्वप्रथम अंशों को कम्पनी द्वारा अंशों के धारकों की सहमति लेना आवश्यक है।

(2) **सहमति हेतु समयावधिः–** अनुबन्ध की स्कीम के तहत अंशों के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत धारित करने वाले अंशधारकों से प्रस्ताव की तिथि से (हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा) 4 माह के भीतर सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

(3) जहाँ वह अंश जो हस्तांतरित किये जाएंगे प्रस्तावक द्वारा (हस्तांतरिती कम्पनी) या उसके नामांकिती द्वारा या सहायक कम्पनी द्वारा पूर्व में धारित किये गये हों तथा उनका मूल्य हस्तांतरक कम्पनी के अंशों के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, अन्य अंशों के धारकों के लिये प्रस्ताव की शर्तें समान रहेंगी तथा अनुबन्ध की स्कीम पर न केवल अंशधारकों के कुल मूल्य के 9/10 वाँ भाग द्वारा सहमति प्राप्त की जाएगी अपितु धारकों की संख्या भी कुल संख्या के 3/4 वाँ भाग से कम न होनी चाहिए।

(4) **हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा असहमत अंशधारकों को नोटिस :–** उक्त शर्तों को पूरी करने के पश्चात्, हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा असहमत अंशधारकों को नोटिस देकर यह बताया जाएगा कि वह अंशों को क्रय करना चाहती है। उक्त नोटिस 4 माह की समाप्ति पर 2 माह के भीतर दिया जाएगा।

(5) **नोटिस देने के पश्चात् हस्तांतरिती कम्पनी अंश खरीदने हेतु बाध्य :–**अगर उक्त नोटिस दिया जाता है, तो हस्तांतरिती कम्पनी उक्त अंशों को बहुसंख्यक द्वारा लगायी गयी शर्तों पर क्रय करने हेतु अधिकृत एवं बाध्य है, उस दशा को छोड़कर जब असहमत अंशधारक न्यायालय में नोटिस की तिथि से एक माह के भीतर याचना करते हैं तथा न्यायालय द्वारा अन्य आदेश दे दिया जाता है।

(6) **हस्तांतरक (Transferor) को हस्तांतरण के प्रपत्र के साथ नोटिस की प्रति भेजना :–** नोटिस देने के पश्चात्, हस्तांतरिती (Transferee) कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट समय में हस्तांतरिती कम्पनी तथा अंशधारकों हेतु नियुक्त एक व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये गये हस्तांतरण के प्रपत्र के साथ नोटिस की प्रति हस्तांतरक कम्पनी को भेजी जानी चाहिए।

(7) **राशि का भुगतान :–** हस्तांतरिती कम्पनी द्वारा अनिवार्य रूप से राशि व अन्य प्रतिफल जो अंश के बदले भुगतान योग्य है हस्तांतरक कम्पनी को भुगतान किया

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

पंजीकरण के 1 माह के भीतर असहमत अंशधारकों को उक्त पंजीकरण का तथ्य तथा हस्तांतरिती कम्पनी से प्राप्त राशि या अन्य प्रतिफल की सूचना देनी होगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(9) प्राप्त धन को न्यास (Trust) में रखना :— हस्तांतरक कम्पनी, हस्तांतरिती कम्पनी से प्राप्त समस्त राशि तथा किसी भी प्रकार के अन्य प्रतिफल को उन व्यक्तियों को, जिनके लिए कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये हैं, पृथक न्यास में रखे तथा जब तक भुगतान न कर दिये जायें एक अलग बैंक खाते में रखें। यह राशि अंशधारकों को अंश प्रमाण पत्र जमा करवाने पर भुगतान की जाएगी।

(10) **असहमत अंशधारकों को राय** :— हस्तांतरक कम्पनी द्वारा उन अंशधारकों को जिनके अंश लिये गये हैं यह राय देनी चाहिए कि हस्तांतरिती कम्पनी के पक्ष में अंशों के पंजीकरण के 1 माह के भीतर अंशों के मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रश्न 7

कोई चार करें :–

(a) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निर्णीत करें कि निम्न उद्देश्यों हेतु विदेशी मुद्रा ली जा सकती है :–

(i) गोपाल भारत में एक सिने कलाकार (Cine Artist) है, वह दुबई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तथा इस हेतु उन्हें 100,000 US$ की आवश्यकता है।

(ii) शाह युनाइटेड स्टेट में व्यावसायिक उद्देश्य हेतु जाना चाहते हैं तथा खर्चे हेतु 40000 US$ विदेशी मुद्रा चाहते हैं। (4 Marks)

(b) एक ट्रक निर्माता कम्पनी द्वारा डीलर के साथ वितरण समझौता किया गया जिसके अन्तर्गत यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि डीलर अन्य निर्माता के ट्रक विक्रय नहीं करेगा तथा निर्धारित क्षेत्र के बाहर ट्रक विक्रय नहीं करेगा। प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णीत करें कि क्या उपरोक्त अनुबन्ध प्रतियोगिता के विरुद्ध (Anti-Competitive Agreement) हैं तथा कम्पनी द्वारा उपरोक्त अनुबन्ध करने पर यह व्यर्थ होंगे। (4 Marks)

(c) एक बैंकिंग कम्पनी PTM लिमिटेड ग्राहक के साथ लेन देन समाप्त होने की तिथि से 5 वर्षों तक समस्त लेनदेनों का अभिलेख रखती है। यह निर्णय करें कि क्या कम्पनी काले धन को वैध निधारक अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत समस्त कर्तव्य को पूरा करती है।

(d) कृष्णा द्वारा अपनी जीवन बीमा पॉलिसी हेतु अपने 10 वर्ष के पुत्र राम को नामांकिती हेतु नामित करना चाहता है। बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अन्तर्गत कृष्णा को सलाह

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES

(e)

SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

निदेशक' के संदर्भ में विस्तार से समझाइए। (4 Marks)

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

उत्तर :

(a) **विदेशी मुद्रा का आहरण :–**

(i) **सांस्कृतिक कार्यक्रम** (Cultural Programme) : सांस्कृतिक यात्रा हेतु विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (चालू खाता लेन देन) नियम, 2000 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा तथा संस्कृति विभाग) भारत सरकार की अनुमति लेकर प्राप्त किया जा सकता है। अतः गोपाल 1,00,000 US$ भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर आहरित कर सकते हैं।

(ii) **व्यावसायिक यात्रा** (Business Tour) : इस तरह का भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबन्धन (चालु खाता लेन देन) नियम, 2000 के तृतीय अनुसूची में वर्णित है। किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक यात्रा हेतु, बिना यह ध्यान रखते हुए कि व्यावसायिक यात्रा हेतु कब तक वह व्यक्ति विदेश मे रहेगा, अगर 25000 US$ से अधिक विदेशी मुद्रा दी जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। इसलिए दी गई परिस्थिति में शाह 40,000 US$ आहरित करना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।

(b) **प्रतिस्पर्धा विरुद्ध अनुबन्ध** (Anti Competitive Agreement) : प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार, संस्था के व्यक्तियों के मध्य या उत्पादन स्तर के विभिन्न बाजार में उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण विक्रय या मूल्य हेतु या माल के विक्रय या सेवाओं हेतु कोई भी अनुबन्ध व्यर्थ होगा, अगर वह प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालता हो या भविष्य में प्रतिस्पर्धा पर विपरित प्रभाव डालेगा। समस्या में अनुबन्ध में दो शर्तें दी गई हैं जो उक्त स्थिति में आती हैं –

(i) **विशिष्ट आपूर्ति समझौता** (Exclusive Supply Agreement) : इसमें सम्मिलित है कोई भी समझौता जो किसी भी रूप में क्रेता को सामान्य व्यवसाय में विक्रेता के माल के अलावा अन्य माल में लेन देन करने से बाधित करता है।

(ii) **विशिष्ट वितरण समझौता** (Exclusive distribution Agreement) : इसमें सम्मिलित है, किसी भी सामान के उत्पादन या आपूर्ति या माल के निपटान या बिक्री के लिए किसी भी क्षेत्र या बाजार के आबंटन को सीमित, प्रतिबंधित या रोकने के अनुबंध।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को देखते हुए प्रश्न में दिए गए अनुबन्ध में अनुच्छेद की वैधता निम्न प्रकार है :–

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

लगाया जाता है। अतः प्रस्तावित अनुबन्ध प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध है तथा व्यर्थ है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES" AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

(c) **बैंकिंग कम्पनी का उत्तरदायित्व आदि :–** कालेधन का वैध निधारक अधिनियम, 2002 की धारा 12 में बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान तथा प्रतिभूति बाजार के मध्यस्थ की देयता बताई गई है। प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान तथा मध्यस्थ को अनिवार्य रूप से :–

(a) समस्त लेन देन का रिकार्ड रखना, प्रकृति तथा मूल्य विर्निदिष्ट करना कि क्या इस लेन देन में एक ही लेन देन है या एक लेन देन का क्रम है जो आपस में जुड़े हैं और क्या यह लेन देन का क्रम 1 माह के भीतर हुआ है। उक्त रिकार्ड ग्राहक तथा बैंकिंग कम्पनी या वित्तीय संस्थान या मध्यस्थ जो भी स्थिति हो के मध्य लेन देन की समाप्ति से 10 वर्षों तक रखना चाहिए।

(b) इस अधिनियम के उद्‌देश्य हेतु धारा–49 के अन्तर्गत नियुक्त निदेशक को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उक्त लेन देन की समस्त सूचनाएँ देनी होंगी।

(c) ग्राहक की पहचान की जाँच करना तथा अभिलेख को विनिर्दिष्ट तरीके से रखना।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि PTM लिमिटेड द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं किया है। कम्पनी द्वारा उक्त अभिलेख 10 वर्षों के स्थान पर 5 वर्षों तक ही रखे गए।

(d) **नामांकिती के रूप में अवयस्क (Minor as a Nominee) :–** धारक की बीमा पॉलिसी हेतु अवयस्क नामांकिती के रूप में नामित हो सकता है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 (1) के परन्तुक (Proviso) के अनुसार एक ही आवश्यकता है कि बीमाधारक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से, अवयस्क की अवयस्कता अवधि के दौरान, बीमाधारक की मृत्यु होने पर प्राप्त होने वाली राशि को अवयस्क हेतु प्राप्त करने के लिए एक वयस्क व्यक्ति को नियुक्त किया गया हो।

दी गई समस्या उपरोक्त प्रावधान से संबधित है क्योंकि अवयस्क नामांकिती है। यहाँ कृष्णा उनके अवयस्क पुत्र राम को नामांकिती के रूप में नामित करना चाहते हैं। वे ऐसा समस्त आवश्यकताओं को पूरा करके कर सकते हैं।

(e) **प्रतिबंधक तथा व्यापक अर्थ (Meaning of Restrictive and Extensive) :** जब किसी शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि उसका अर्थ वह ही हो जो वास्तविक रूप से है, प्राथमिक रूप से प्रतिबंधक होता है तथा यह परीभाषा में दिए गए शब्द के अर्थ को प्रतिबंधित करता है। परन्तु जहाँ शब्द का अर्थ शामिल करते हुए लिया जाता है [illegible]

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

[illegible] **प्रबन्धकीय निदेशक :** प्रबन्धकीय निदेशक की परिभाषा में अर्थ तथा सम्मिलित दोनों शब्द दिये हैं अतः यह परिभाषा को प्रथम दृष्टया संपूर्ण बनाती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NOW GET UPDATES ON BY TYPING "UPDATES"
AND SENDING A MESSAGE ON AT +919831144427
PLEASE VISIT WWW.STUDENTSOFCACS.COM FOR MORE UPDATES

परिभाषा में यह अर्थ है कि ऐसा निदेशक, जिसे कम्पनी के साथ किसी अनुबंध के द्वारा या कम्पनी की साधारण सभा में या उसके निदेशक मंडल में पारित किसी संकल्प के द्वारा या उसके संगम ज्ञापन या अन्तर्नियम द्वारा प्रबन्धन की अतिरिक्त शक्तियाँ सौंपी जाती हैं प्रबंधकीय निदेशक कहलाता है तथा इसमें ऐसा निदेशक शामिल है जो कि किसी प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन है भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो।

अतः प्रबन्धकीय निदेशक की परिभाषा प्राथमिक रूप से संपूर्ण है जो विस्तार से वो व्यक्ति बताती है जिन्हें कि प्रबन्धकीय निदेशक कहा जा सकता है।

DOWNLOAD OUR ANDROID APP FROM PLAYSTORE TO GET UPDATES
SEARCH ---> "STUDENTS OF CA AND CS"

© The Institute of Chartered Accountants of India